कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2018/628 लखनऊ:दिनांक 26 मार्च, 2018

:::कार्यालय आदेश:::

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–सिविल–8268/2017 डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 के कम में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारक ऐसे चिकित्साधिकारी जिन्होने उत्तर प्रदेश से बाहर (देश के किसी अन्य राज्य से) एम0बी0बी0एस0 उत्त्तीर्ण किया हो और महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवायें, उ0प्र0 द्वारा चिन्हित रिमोट/दुर्गम, दूरस्थ स्थानों पर कार्यरत रहे हो, को नियमानुसार महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के द्वारा वेटेज प्रदान करते हुए उक्त की सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जानी थी परन्तु उक्त सूची आज दिनांक 26.03.2018 समय 07 बजे सांय बजे तक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है जिस कारण पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के ऐसे चिकित्साधिकारियों द्वारा जमा की जाने वाली धरोहर धनराशि (Security Money) की स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है।

अतः पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने उत्तर प्रदेश से बाहर (देश के किसी अन्य राज्य से) से एम0बी0बी0एस0 उत्त्तीर्ण किया हो, से अपेक्षा की जाती है कि वह सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू0 2.00 लाख ऑन लाईन जमा करने का कष्ट करें जिससे नियमानुसार उनकी अर्हता सरकारी एवं निजी क्षेत्र की पी0जी0 सीटों पर बनी रहे।

महानिदेशक